E-Tendering

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

(खनन अनुभाग)

संशोधित ई–निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना

पत्रांक 1291 /खनिज लिपिक–2017–18 दिनांक 14 –05–2017

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बागपत में नदी तल में उपलब्ध बालू/मोरम के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या–715/86–2017–57(स)/2017 दिनांक 22–04–2017 में दिये गये निर्देशानुसार 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1272/खनिज लिपिक–2017–18 दिनांक 05–05–2017 को विज्ञप्ति जारी करते हुए दिनांक 05–05–2017 से दिनांक 12–05–2017 के सांय 5.00 बजे तक ई–निविदा आमंत्रित की गयी थी तथा दिनांक 15 मई 2017 को 3.00 बजे ई–निविदा खोली जानी थी।

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 05 मई 2017 को जारी शासनादेश संख्या 906/86–2017–57 (सामान्य)/2017 टीसी के अन्तर्गत निर्देश दिये है कि कतिपय जनपदों में ई–टेण्डरिंग प्रकिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों के प्रमाणिक एजेन्सी से डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने, तथा ई–निविदा पोर्टल में तकनीकी कठिनाई आ जाने के कारण डाटा अपलोड कराने आदि की कार्यवाही नियत समय पर पूर्ण कराया जाना सम्भव नही हो पा रहा है। अतः वर्णित स्थिति में ई–निविदा प्रकिया पूर्ण करने की अंन्तिम तिथि 15 मई, 2017 के स्थान पर अब 19 मई, 2017 निर्धारित की जाती है। दिनांक 19–05–2017 को अपरान्ह 3.00 बजे तक निविदाएँ स्वीकार की जायेगी एवं दिनांक 19–05–2017 को ही 3.30 बजे अपरान्ह ई–निविदा खोलने की प्रकिया प्रारम्भ की जायेगी।

(भवानी सिंह खंगारोत)
जिलाधिकारी,
बागपत।

कार्यालय जिलाधिकारी खनिज अनुभाग बागपत

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव मा0 मुख्य मंत्री उ0प्र0 शासन।

2– अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग लखनऊ।

3– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश।

4– प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद।

5– प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग लखनऊ।

6– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय लखनऊ।

7– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, बागपत को इस निर्देश के साथ कि संशोधित विज्ञप्ति के प्रकाशन में वांछित सहयोग करें।

8– जिला सूचना अधिकारी, बागपत को इस निर्देश के साथ कि उक्त संशोधित विज्ञप्ति का प्रकाशन किसी ऐसे दो दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में दिनांक 15–05–2017 को प्रत्येक दशा में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

9– नाजिर सदर कलेक्टेट बागपत को इस निर्देश के साथ कि वह संशोधित विज्ञप्ति की एक प्रति

10— तहसीलदार बागपत / बडौत / खेकडा को इस निर्देश के साथ कि उक्त संशोधित विज्ञप्ति को तहसीलों के सूचना पट पर लगवाये तथा व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें एवं विज्ञप्ति की सूचना मुनादी / डुग्गी पिटवा कर, ग्राम सभा के सदस्यों को दें।

जिलाधिकारी,
बागपत।

कार्यालय जिलाधिकारी बागपत